UPLK010082532024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1178/2024

सरकार बनाम संजय शर्मा आदि

अ0सं0 161/2024

धारा–147,148,149,323,504,506,307 452,302 भा0द0सं0 तथा धारा–3(1)द,ध, 3(2)5ए, 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, थाना–पारा, लखनऊ।

03–10–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूॅ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 452,302 भा0द0सं0 तथा धारा–3(1)द,ध, 3(2)5ए, 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 17.10.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010082532024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1178/2024

सरकार बनाम संजय शर्मा आदि

अ0सं0 161/2024
धारा–147,148,149,323,504,506,307
452,302 भा0द0सं0 तथा
धारा–3(1)द,ध, 3(2)5ए, 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–पारा, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 25.03.2024 समय अदम तहरीर थाना पारा, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत 664 डूडा कालोनी नरपट खेड़ा में आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सामान्य आशय से बल्वा किया, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हथियारों से लैस होकर एक विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बल व हिन्सा का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के माता पिता के ऊपर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452/149 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के माता पिता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/149 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के माता पिता को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के माता पिता की हत्या करने के आशय से लाठी डण्डों से प्रहार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–307/149 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के पिता मुन्ना साहू की हत्या करने के आशय से लाठी डण्डों से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप दौरान इलाज दिनांक 27.03.2024 को वादी के पिता की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

नवमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के माता–पिता को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

दशमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के माता–पिता जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एकदशःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के अनुसूचित जाति के माता–पिता के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)Va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वदशःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त संजय शर्मा व विकास शर्मा अपने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अमन कुमार के पिता मुन्ना साहू (जो अनुसूचित जाति का सदस्य है) की हत्या कारित किया, जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 03–10–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 03–10–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085